Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

42-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 18, 2016 (PHALGUNA 28, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 18th March, 2016

No. 10-HLA of 2016/13.—The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 10- HLA of 2016

THE HARYANA VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Act, 2016. Short title.

2. For section 59A of the Haryana Value Added Tax Act, 2003, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 59A of Haryana Act 6 of 2003.

"59A. Amnesty Scheme.-Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and rules framed thereunder, the Government may, by notification in the Official Gazette, notify amnesty scheme covering payment of tax, interest, penalty or any other dues under the Act relating to any period, subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, covering tax, rates of tax, period of limitation, interest, penalty or any other dues payable by a class of dealers or classes of dealers or all dealers.".

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No. 1 of 2016), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 59A of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 enables the Government to notify an Amnesty Scheme for recovery of old arrears of taxes which are outstanding and are difficult to recover despite various efforts for the period prior to 1st April, 2014. It is observed that in certain cases, the taxes, interest, penalty or other dues under the Act are cumbersome to compute and recover. In some cases, the dues are vulnerable as they are likely to be subjected to procrastinated rigors of legal challenge in the courts, consequently the recovery of such amount is adversely affected.

The Council of Ministers in its meeting held on 29.12.2015 had approved the proposal to amend Section 59A to provide for Amnesty Scheme to recover tax, interest, penalty and all other dues under the Act, for the period prior to 1st April, 2015. It was further decided to issue an Ordinance to carry out the amendment in Section 59A as the State Legislature was not in session. Accordingly, the Governor of Haryana approved the Ordinance which was issued vide notification No. Leg. 1/2016 dated 13th January, 2016.

Section 59A of the Haryana Value Added Tax Act, 2003, as amended by the Ordinance dated 13.01.2016 enabled the Government to notify an Amnesty Scheme covering payment of tax, interest, penalty or any other dues under the Act, for the period prior to 1st April, 2015 only. Subsequently, the registered dealers of the State in some districts like Rohtak, Jhajjar, Sonepat etc. suffered losses on account of goods destroyed or lost during the reservation agitation in February, 2016. In order to grant some relief to the registered dealers affected by the reservation agitation, the Government felt the need to introduce an amnesty scheme for the affected registered dealers. The stipulated cut-off date restricting the Amnesty Scheme only for the period prior to 01.04.2015 as mentioned in Section 59A did not allow introduction of an Amnesty Scheme for the period after 31.3.2015. Therefore, the Council of Ministers in its meeting held on 10.03.2016 approved the removal of the cut-off date prescribed in Section 59A and further decided to issue another Ordinance to carry out the amendment. Before the second Ordinance could be issued, the budget session of Haryana Vidhan Sabha had commenced on 14.03.2016. The Legal Remembrancer, Haryana advised that since the Vidhan Sabha was in session, therefore, the department should bring a Bill instead of an Ordinance.

In order to give effect to the above decisions, it will be necessary to regularize the Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No.1 of 2016).

Hence this Bill

CAPTAIN ABHIMANYU,
Excise and Taxation Minister,
Haryana.

———————

Chandigarh:
The 18th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 10—एच०एल०ए०

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016
हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 59क का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 59क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"**59क माफी स्कीम.**—इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यवहारियों के वर्ग अथवा व्यवहारियों के वर्गों अथवा सभी व्यवहारियों द्वारा भुगतानयोग्य कर, कर की दरें, परिसीमन की अवधि, ब्याज, शास्ति अथवा किन्हीं अन्य बकायों को सम्मिलित करते हुए किसी अवधि से संबंधित अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति अथवा किन्हीं अन्य बकायों के भुगतान को सम्मिलित करते हुए माफी स्कीम, ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिसूचित कर सकती है।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 59क के अन्तर्गत सरकार को माफी स्कीम को अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त है जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2014 से पहले के पुराने और जटिल बकाया कर राशि, जिनकी भरसक प्रयासों के बावजूद वसूली करना कठिन हो, की वसूली की जा सके। ऐसा देखने में आया है कि कुछ मामलों में कर, ब्याज, शास्ति और अन्य बकाया कर राशि का मूल्यांकन करना कठिन है। कुछ मामलों मे बकाया राशि न्यायालय में कानूनी चुनौती में स्थगित होने के कारण बाधित रहती है जिसके फलस्वरुप उस राशि की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दिनांक 29.12.2015 को हुई मन्त्रिमण्ड़ल की बैठक में 1 अप्रैल, 2015 से पहले के टैक्स ब्याज, शास्ति और अन्य बकाया राशि को माफ करने के बारे में माफी स्कीम लाने के लिए धारा 59क में संशोधन करने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, क्योंकि हरियाणा राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था, धारा 59क में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को अनुमति दी गई जो कि अधिसूचना संख्या लैज 1/2016 द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2016 को अधिसूचित किया गया।

दिनांक 13.01.2016 को अधिसूचित अध्यादेश द्वारा हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की संशोधित धारा 59क, सरकार को केवल 1 अप्रैल, 2015 से पहले के कर, ब्याज, शास्ति और अन्य बकाया राशि को माफ करने के बारे में माफी स्कीम लाने के लिए अधिकृत करती है। तत्पश्चात्, फरवरी, 2016 के आरक्षण आन्दोलन के दौरान राज्य के कुछ जिलों जैसे रोहतक, झज्जर, सोनीपत आदि के पंजीकृत व्यवहारियों का माल नष्ट व खो जाने के कारण नुकसान हुआ है। सरकार ने आरक्षण आन्दोलन के दौरान प्रभावित पंजीकृत व्यवहारियों को कुछ राहत देने हेतु एक माफी स्कीम लाने की आवश्यकता अनुभव की है। माफी स्कीम में नियत निर्दिष्ट तिथि, धारा 59क में वर्णित 1 अप्रैल, 2015 से पहले के समय अवधि तक सीमित करने के कारण 31 मार्च, 2015 के बाद के समय के लिए माफी स्कीम लाना सम्भव नहीं है। इसलिए 10.03.2016 को हुई मन्त्रिमण्डल की बैठक में धारा 59क में वर्णित निर्दिष्ट तिथि को हटाने की अनुमति दी गई तथा एक और अध्यादेश द्वारा संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले कि अध्यादेश जारी किया जा सके हरियाणा विधान सभा का सत्र 14-03-2016 से आरम्भ हो गया। विधि परामर्शी हरियाणा द्वारा परामर्श दिया गया कि, क्योंकि विधानसभा का सत्र जारी है, अतः विभाग अध्यादेश की बजाय विधेयक पारित करवाए।

उपर्युक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्या 1) को नियमित करवाना आवश्यक होगा।

अतः यह विधेयक।

कैप्टन अभिमन्यु ,
आबकारी एवं कराधान मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 18 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54174—H.V.S.—H.G.P., Chd.